प्राथमिकता / महत्वपूर्ण
संख्या– 612 / 15–11–2017

ET-185
29-5-17

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2017

विषय– रिट याचिका संख्या–60387 / 2016 शमा परवीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संशोधन–विज्ञप्ति संख्या–653 / 15–11–2015 दिनांक 10 जून, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2– रिट याचिका संख्या–60387 / 2016 शमा परवीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 का कियात्मक अंश निम्नवत् है:–

..............In view of the statement of law, the government order dated 10 June 2015 is in gross violation of the law laid down by 11 Judge Bench in TMA Pai Islamc Academy (five Judge Bench) and thereafter in P.A. Inamdar (seven Judge Bench), the decisions are binding not only upon the State but also upon this Court.

In the circumstances, it will not in the public interest that the government order dated 10 June 2015 is left to operate permitting the minority institution to intake students for D.El.Ed.(B.T.C) course on their own bypassing the centralized counselling.

Until further order, effect and operation of the Government Order dated 10 June 2015 shall be kept in abeyance. All minority institutions in the State imparting D.El.Ed. course shall be subjected to centralized counselling process for admitting students as applicable to other institutions, however, 50% of sanctioned strength shall be filled up on their own from the minority community. The order shall apply prospectively.

Learned counsel for the petitioner at this stage prayed for withdrawal of the

so gio

writ petition.

Since public interest at large, and in particular, the interest of the students and quality of education being imparted at the primary level is at stake, the Registry is directed to register the present writ petition as Public Interest Litigation (PIL).

Let the record of the case be placed before Hon'ble the Chief Justice, on the administrative side, for nomination to the Bench competent to hear the Public Interest Litigation.

3— इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संशोधन–विज्ञप्ति संख्या–653/15–11–2015, दि0–10–06–2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया एन0सी0टी0ई0 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थाओं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, को आवंटित सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत सीटों पर आगामी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश/चयन मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 09.02.2017 के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी।

4— यह आदेश उक्त रिट याचिका संख्या–60387/2016 शमा परवीन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य, जो पी0आई0एल0 के रूप में रजिस्टर्ड है, में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1— निदेशक, बेसिक शिक्षा।
2— समस्त प्राचार्य, जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

so gio